रजिस्ट्री सं. डी. एल.—33004/95

REGD. NO. D.L.—33004/95

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 18] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 8, 1996/पौष 18, 1917
No. 18] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 8, 1996/PAUSA 18, 1917

मानव संसाधन] विकास मंत्रालय

(शिक्षा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जनवरी, 1996

क्र.अ. 20(अ).—परियोजना अनुमोदन समिति का कार्यकाल समाप्त होने पर, भारत सरकार के दिनांक 15 दिसम्बर, 1994 की अधिसूचना संख्या एफ-9-18/94-ए.ई. 1 के द्वारा राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण की कार्यकारिणी समिति की एक उप समिति गठित की गई थी तथा भारत सरकार के दिनांक 26 जून, 1988 के संकल्प संख्या एफ. 9-5/87-ए.ई. 1 (जिसे आगे चल कर दिनांक 13-12-94 को संकल्प संख्या एफ. 9-18/94-ए.ई. 1 द्वारा संशोधित किया गया) के पेरा 4 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्णय लिया गया है कि परियोजना अनुमोदन समिति का पुनर्गठन किया जाय। इस समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे :—

1.	सचिव मानव संसाधन विकास मंत्रालय शिक्षा विभाग नई दिल्ली	अध्यक्ष
2.	संयुक्त सचिव एवं महानिदेशक राष्ट्रीय साक्षरता मिशन	उपाध्यक्ष
3.	वित्तीय सलाहकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय शिक्षा विभाग	सदस्य
4.	श्री सत्येन मैत्रा अवैतनिक निदेशक बंगाल समाज सेवा लीग 1/6, राजा दिनेन्द्र स्ट्रीट कलकत्ता-700009	सदस्य
5.	डा. वीना दास दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनोमिक्स, दिल्ली	सदस्य
6.	डा. डेन्जिल सल्धाना टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान सियोन—ट्राम्बे रोड, देवनार, बम्बई-400088	सदस्य
7	निदेशक (संपूर्ण साक्षरता अभियान) शिक्षा विभाग मानव संसाधन विकास मंत्रालय नई दिल्ली	सदस्य-सचिव

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अन्तर्गत सभी योजनाओं से संबंधित परियोजना प्रस्तावों को स्वीकृत करने के लिए परियोजना अनुमोदन समिति को पूर्ण अधिकार प्रदान किए गए हैं।

संबंधित राज्य सरकारों के संबंधित शिक्षा सचिवों तथा प्रौढ़ शिक्षा निदेशकों को जिन्हें संपूर्ण/उत्तर साक्षरता अभियानों के प्रस्तावों पर विचार करने का दायित्व सौंपा गया है, उन्हें इसकी विशेष बैठक में भाग लेने के लिए सदस्य के रूप में भी सहयोजित किया जाएगा।

गैर-सरकारी सदस्यों के मनोनीत व्यक्ति इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से 31-3-97 की अवधि तक परियोजना अनुमोदन समिति में कार्य करेंगे।

परियोजना अनुमोदन समिति के गैर-सरकारी सदस्य भारत सरकार के नियमों के अनुसार यात्रा तथा दैनिक भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे।

[सं. एफ-9-18/94-ए.ई.-1]
भास्कर चटर्जी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of Education)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th January, 1996

S.O. 20(E).—On expiry of the term of the Project Approval Committee, a sub-committee of the Executive Committee of the National Literacy Mission Authority constituted vide Government of India Notification No. F-9-18/94-AE.I dated the 15th December, 1994 and in exercise of the powers delegated in para 4 of Government of India Resolution No.F. 9-5/87-AE.I, dated 26th June, 1988 (modified further vide Resolution No. F-9-18/84-AE.I , dated 13-12-94) it has been decided to reconstitute the Project Approval Committee with the following members :—

1. Secretary — Chairman
   Ministry of Human Resource Development
   Department of Education
   New Delhi.
2. Joint Secretary and Director General of NLM — Vice Chairman
3. Financial Adviser — Member
   Ministry of Human Resource Development
   Department of Education
4. Shri Satyen Maitra — Member
   Honorary Director,
   Bengal Social Services League
   1/6, Raja Dinendra Street
   Calcutta-700009
5. Dr. Veena Das — Member
   Delhi School of Economics
   Delhi.
6. Dr. Denzil Saldhana — Member
   Tata Institute of Social Sciences
   Sion-Trombay Road
   Deonar, Bombay-400088
7. Director (TLC) — Member Secretary
   Department of Education
   Ministry of Human Resource Development.
   New Delhi.

The Project Approval Committee is vested with full powers to clear the project proposals in respect of all schemes under the National Literacy Mission.

The concerned Education Secretaries and the Directors of Adult Education of the respective State Governments whose proposals for total/post literacy campaigns are considered would also be co-opted as members in the particular meeting.

The non-official nominees would serve on the Project Approval Committee for a period upto 31-3-97 from the date of issue of this Notification.

The non-official members of the Project Approval Committee shall be entitled to travelling and daily allowances as per the rules of Government of India.

[No. F-9-18/94-AE.I]

BHASKAR CHATTERJEE, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1996